राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 385/2015

डॉ. अशोक कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.05.2015

आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान रूपये 6,600/– का लाभ प्रदान किया जावे एवं शेष राशि पर मय ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 30.08.1986 के द्वारा हुई थी और अपीलार्थी वर्ष 1996 में प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1997–98 के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे आदेश दिनांक 03.03.2010 के द्वारा सहायक निदेशक (विशिष्ठ) के पद पर पदोन्नति प्रदान की

गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2010 के द्वारा दिनांक 31.03.2004 से वेतन निर्धारण किया गया। उनका कथन है कि पुनर्निधारण वेतनमान नियम के प्रावधानानुसार अपीलार्थी दिनांक 01.01.2006 से रूपये 6,600 ग्रेड पे प्राप्त करने का अधिकारी था। चूंकि अपीलार्थी दिनांक 01.09.2006 को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका था परंतु अपीलार्थी को ग्रेड पे 6,000 प्रदान की गई और जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक जो सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत नहीं किए गए तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनकी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें रूपये 6,600 ग्रेड पे प्रदान की गई है, जबकि अपीलार्थी को नहीं दी गई, जो वेतनमान नियमों के विरूद्ध है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन विभाग को दिया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया और अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस जारी कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान रूपये 6,600/– का लाभ प्रदान किया जावे एवं शेष राशि पर मय ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान पुनरीक्षण वेतनमान, 2008 में अपीलार्थी के पद सहायक निदेशक के पद का वेतनमान ग्रेड पे 6,000 रखा गया, जिसके अनुसार अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया और वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति नहीं होने पर 6000–6600 एवं 6800 ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान दिनांक 01.01.2006 से रखा गया। अपीलार्थी दिनांक 01.01.2006 से पूर्व दो पदोन्नति प्राप्त कर चुका है और तृतीय एसीपी ग्रेड पे 6,800 प्राप्त करने के नियमानुसार पात्र होंगे। अपीलार्थी के वेतन का निर्धारण दिनांक 31.12.2009 के अनुसार किया जा चुका है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 30.08.1986 के द्वारा हुई थी और वर्ष 1997–98 में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी

के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें छठें वेतन आयोग लागू उपरांत ग्रेड पे 6000 कर दिया गया और राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के लिए 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर जिन अधिकारियों को नियमित पदोन्नति प्रदान नहीं हुई है। उनके लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एसीपी ग्रेड पे 6600 प्रदान की गई, जो आदेश दिनांक 23.02.2012 के अवलोकन से प्रकट होता है। परंतु अपीलार्थी का ग्रेड पे 6000 ही रखा गया, चूंकि अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था और आदेश दिनांक 03.03.2010 की अनुपालना में अपीलार्थी को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, परंतु उसे एसीपी का लाभ दिए जाने से वंचित रखा गया, जिसके कारण अपीलार्थी एवं उससे कनिष्ठ अधिकारियों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हुई। इस प्रकार हमारे मत में कनिष्ठ अधिकारियों का वेतन अपीलार्थी के वेतन से अधिक वेतन होना नियमानुसार एवं विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा अवधि की सही गणना करते हुए तथा नियमानुसार पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी वेतन आयोग के आधार पर दिनांक 01.01.2006 से अपीलार्थी का नियमानुसार सही वेतन निर्धारण किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किए जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)